



V - 401042 | 2010

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UT



गैर न्यायिक^{प्रमाणित}



गैर न्यायिक^{प्रमाणित}
पुनर्जीवन के लिए विद्युत
प्रयोग का प्रमाण

423626

न्यास-पत्रक

न्यास का नाम— “रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ”

न्यास का प्रधान कार्यालय— 14/3/22 हेमकुञ्ज, श्रृंगारहाट, शहर अयोध्या

परगना- हवेली अवध, तहसील- सदर, जिला- फैजाबाद।

कार्यक्षेत्र— सम्पूर्ण भारतवर्ष।


मूल्यांकन ट्रस्ट डीड- रुपया 51,000 मात्र, स्टाम्प व्यय रुपया 1,000 मात्र

मैं मिश्रीलाल वर्मा पुत्र हेमराज वर्मा उम्र लगभग 58 साल साकिन निवासी 14/3/22,

हेमकुञ्ज, श्रृंगारहाट शहर- अयोध्या, परगना- हवेली अवध, तहसील- सदर, जिला- फैजाबाद मिनमुकिर

Mishri Lal Verma

Ashok



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


(2)

T 423627

संख्या (1) तथा डॉ. अवधेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मिश्रीलाल् वर्मा उम्र लगभग 30 साल साकिन
14/3/22 हेमकुंज, मोहल्ला- श्रृंगारहाट, शहर- अयोध्या, जिला- फैजाबाद मिनमुकिर संख्या (2) इस
ट्रस्ट के क्रमशः अध्यक्ष व मंत्री हैं जो सभी अयोध्यापुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम की नगरी
में अरसे से रह रहे हैं तथा अपने माता-पिता व पूर्वजन की इच्छानुसार तथा परिवार के हित-बन्धु के
इच्छा तथा स्वतः प्रेरणा से मिनमुकिरान एक ट्रस्ट की स्थापना मानव समाज तथा शिक्षा के विकास के
क्षेत्र के लिए कर देवें ताकि समाज में इस ट्रस्ट द्वारा श्रेष्ठ कार्य प्रत्येक क्षेत्र में हो सके इस न्यास का नाम
मिनमुकिरान ने “रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबिल ट्रस्ट” रखा है जो सर्व सम्मत से कायम किया
गया है तथा उक्त ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ताकि समाज में अच्छे वातावरण में शिक्षा
जगत में प्रचार-प्रसार तथा मानव उत्थान सम्बन्धी कार्य किया जा सके। अतएव हम मिनमुकिरान जो
इस ट्रस्ट की कमेटी में क्रमशः अध्यक्ष, मैंत्री होंगे के साथ निम्न पदाधिकारी गण का मनोनयन सर्व

Munna

✓



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423628

(3)


सम्मति से किया जा रहा है।

क्रम सं	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	मिश्रीलाल वर्मा	पुत्र- स्व. हेमराज वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज श्रृंगारहाट-अयोध्या	प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष
2.	डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	पिता- मिश्रीलाल वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज श्रृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी मन्त्री
3.	डॉ. रेनू वर्मा	पत्नी- डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज श्रृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी कोषाध्यक्ष
4.	श्रीमती किरन वर्मा	पत्नी- परमात्माप्रसाद वर्मा	हंसयोग आश्रम मार्ग, देवकाली चौराहा, फैजाबाद	स्थायी न्यासी

इस प्रकार उक्त ट्रस्ट में उपरोक्त चार स्थायी सदस्य होंगे जो बहुमत रूप से कार्य भारतीय संवैधानिक विधिक प्रक्रिया के तहत करेंगे।

Manna

Aver



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423629


(4)

न्यास का उद्देश्य एवं प्रयोजन—

- (1) मानव-समाज के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, आधुनिक तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध व शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा व प्रबन्धकीय शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षण-संस्थान, इञ्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व शोध-संस्थान खोलना, उनका प्रबन्ध करना एवं अनाथ, असहाय, प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना तथा योग्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
- (2) अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए उसके धार्मिक स्वरूप व परिकल्पना के अनुरूप वे सभी कार्य करना जो समय व परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त व आवश्यक हों। यहाँ स्थित प्राचीन मन्दिरों, कुण्डों व पहचान स्थलों को नष्ट होने से बचाने तथा उनके

Munir

A. S. S.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423630


(5)

जीर्णोद्धार-पुनरोद्धार व रख-रखाव की व्यक्ष्मा करना, ताकि इस तीर्थ-स्थल की
गरिमा पूर्ववत् कायम रहे।

- (3) पौराणिक, दार्शनिक, धार्मिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक, जीवनोपयोगी, उपदेशात्मक हर
प्रकार की पुस्तकों का संकलन, प्रकाशन, मुद्रण व वितरण करना तथा उक्त हेतु
वाचनालय, पुस्तकालय व ग्रन्थागार की स्थापना व प्रबन्ध करना।
- (4) प्राचीन, धार्मिक; ऐतिहासिक पुस्तकों, पाण्डुलिपियों का संकलन करना, उनका
रख-रखाव करना तथा इस निमित्त शोध कार्य करना।
- (5) अयोध्या में रहने वाले असहाय, गरीब, लाचार आश्रयहीन साधु-सन्तों व सद्गृहस्थों,
वृद्धों, बच्चों, महिलाओं पुरुषों को बिना किसी भेद-भाव के उनके आवास, भोजन,
वस्त्र, इलाज व भजन के लिए समुचित व्यवस्था करना।

Munne

Lal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423631

(6)

मानव-समाज के जीवन-रक्षा हेतु अत्याधुनिक औषधालयों/चिकित्सालयों की स्थापना
व संचालन तथा उसमें समाज के लाचार, गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों के लिए
निःशुल्क चिकित्सा-व्यवस्था, दवा की सुविधा प्रदान कर सेवा करना और असाध्य
रोग से ग्रसित रोगियों की हर सम्भव मदद करना।


(7) समाज के असहाय गरीब, निराश्रित वृद्ध व विधवाओं के आवास, भोजन, वस्त्र
चिकित्सा की व्यवस्था करना।

(8) अयोध्या तीर्थ-स्थल में आये हुए तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला एवं
होटल की व्यवस्था करना। साथ ही साथ अन्य धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर तीर्थ-यात्रियों
के लिए आवास, भोजन तथा अन्य उपयुक्त व्यवस्था आवश्यकतानुसार करना।

(9) अयोध्या सहित देश के किंभिन्न धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर व समय-समय पर आयोजित

Munna

✓ 1/1/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423632


(7)

होने वाले धार्मिक मेलों के अवसरों, जैसे— क्रुम्भ आदि में अन्न क्षेत्र चलाना तथा
चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना।

- (10) श्रीमद्भगवत्, वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस, वेदों, उपनिषदों का प्रचार-प्रसार करना इस निमित्त कथा, प्रवचन, शोध-शिक्षा के प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था करना।
- (11) हिन्दू धर्म के उन्नयन के लिए कर्मकाण्डों व सांस्कृतिक शिक्षा हेतु व्यवस्था करना।
- (12) हिन्दी व संस्कृत भाषा के साथ-साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हर सम्भव उच्च कोटि की श्रेष्ठ व्यवस्था करना। इससे सम्बन्धित पुस्तकों का संकलन, प्रकाशन, मुद्रण व वितरण करना।
- (13) अनाथालय व बाल तथा नारी-संरक्षण गृहों की स्थापना व प्रबन्ध करना।

M. Mune

J. A. Patel



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


(8)

T 423633

- (14) विकलांग व नेत्रहीनों के लिए हर प्रकार की हँड़ सम्भव निःशुल्क सेवा व सहायता करना।
- (15) विक्षिप्त व पागल व्यक्तियों लिए चिकित्सा, औषधि, भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर उनकी सेवा व सहायता करना।
- (16) कुष्ठ रोगियों के लिए आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व औषधि की निःशुल्क व्यवस्था कर सेवा व सहायता करना।
- (17) गरीब व मलिन बस्तियों तथा आदिवासियों के विकास के लिए उनकी हर प्रकार की सेवा, सहायता करना।
- (18) प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर जीवों के लिए उपलब्ध सभी ज्ञात/अज्ञात वस्तुओं, चीजों, स्थानों, खृक्षों, औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण, सुरक्षा, शोध तथा

Munne

Amit




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

T 423634

प्रचार-प्रसार करना।

- (19) पर्यावरण-प्रदूषण को समाप्त करने हेतु समाज को जागृत करना, इसकी जानकारी देना, इस हेतु पुस्तक, पम्पलेट, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (20) विधवा-विवाह व दहेज रहित विवाह तथा सामूहिक विवाह के लिए समाज का प्रोत्साहन करना।
- (21) साहित्यकारों, कवियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, चित्रकारों या अन्य प्रकार के कलाकारों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।
- (22) प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, तूफान, चक्रवात, सूखा, अग्नि आदि से ग्रसित क्षेत्र के लोगों की प्राथमिक उपचार सहित जीवनोपयोगी व जीवन रक्षक हर प्रकार की सुविधा व सहायता निःशुल्क प्रदान करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


(10)

T 423635

- (23) राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्रहित में हर सम्भव कार्य करना, इसके लिए समाज को प्रोत्साहित करना तथा उसमें यथासम्भव योगदान करना।
- (24) मानव-जीवन के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी जीवधारियों पशु-पक्षी, पेड़ व जानवर चाहे वे वन्य जीव-जन्तु हों या जल में रहने वाले हो उनकी रक्षा, संरक्षण करना तथा उनको विनाश से बचाना तथा उनके बारे में शोध करना और मानव-जीवन के विकास में उनके योगदान के बारे में लोगों को जानकारी देना।
- (25) गौ-शाला चलाना तथा गाय के संरक्षण व संवर्धन हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
- (26) अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल-अचल सम्पत्ति का उपार्जन करना, उसकी

Munne

A-ee



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423636

(11)

देख-रेख व सुरक्षा हेतु अनिवार्य सामग्री को प्राप्त करना, उसका उपयोग व प्रयोग करना।

(27) अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन अन्य कीमती पदार्थ तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करना, उनके अधिकार अर्जित करना, उनको धारण करना, सुरक्षित रखना, उनका विनिधान करना।


(28) ट्रस्ट के उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे सभी कार्यों को करना जो व्यवहार जगत् में आवश्यक व सहायक हों।

(29) ट्रस्ट के सभी उद्देश्य धर्मार्थ होंगे।

मैं मिनमुकिर संख्या (1) "रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट" का संस्थापक/अध्यक्ष आजीवन रहूँगा जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से इस न्यास के कार्य-निर्वाह में असमर्थ न हो जाऊँ।

Munna

S. N. Verma



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423637


(12)

इस सेवा के कार्य निष्पादन में मुझे सहायता-सहयोग एवं सलाह देने के लिए जो न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें इस न्यास पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थायी न्यासी घोषित एवं नियुक्त किया जाता है और यह तब तक स्थायी न्यासी रहेंगे जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से न्यास के कार्य-निर्वाह में असमर्थ न हो जायें या सहयोग देना स्वेच्छा से बन्द न कर दें। स्थायी न्यासी के नाम व पते निम्नलिखित हैं—

क्रम सं	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	मिश्रीलाल वर्मा	पुत्र- स्व. हेमराज वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष
2.	डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	पिता- मिश्रीलाल वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी मन्त्री
3.	डॉ. रेनू वर्मा	पत्नी- डॉ. अवधेश कुमार वर्मा	14/3/22 हेमकुञ्ज शृंगारहाट-अयोध्या	स्थायी कोषाध्यक्ष
4.	श्रीमती किरन वर्मा	पत्नी- परमात्माप्रसाद वर्मा	हंसयोग आश्रम मार्ग, देवकाली चौराहा, फैजाबाद	स्थायी न्यासी

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

T 423638


इस प्रकार से “रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट” में उक्त स्थायी न्यासी होंगे।

उपर्युक्त सभी संस्थापक न्यासी होंगे जो आजीवन इस न्यास में स्थायी न्यासी रहेंगे। उपरोक्त स्थायी न्यासियों के अलावा विशेष न्यासियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा तथा उन्हें जब चाहे हटाकर इनके स्थान पर नये विशेष न्यासी शामिल किये जा सकेंगे। ऐसे विशेष न्यासियों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी। ऐसे विशेष न्यासियों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार केवल अध्यक्ष एवं मंत्री को ही होगा।

“रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट” के उद्देश्यों व प्रयोजकों की पूर्ति हेतु उसके विभिन्न कार्यों के संचालन व प्रबन्ध हेतु तथा दैनिक कार्यों व व्यवस्था हेतु इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारी की संख्या न कभी भविष्य में बढ़ायी जायेगी न कम की जायेगी।

Munna

A. - er



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

T 423639


मैं मिनमुकिर संख्या (1) "रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट" का प्रथम संस्थापक/अध्यक्ष तथा मिनमुकिर संख्या (2) मंत्री व डॉ. (श्रीमती) रेनू वर्मा कोषाध्यक्ष रहेगी। जो आजीवन अपने उक्त पदों पर बने रहेंगे। अध्यक्ष, मन्त्री व कोषाध्यक्ष न्यासी गण के लिए गये निर्णयों एवं निर्देशों के तहत न्यास में कार्यों को करेंगे तथा उसकी देख-भाल करेंगे।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति—

इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे। इनमें से किसी की मृत्यु हो जाने, त्याग-पत्र देने या किसी रोग से ग्रसित होकर असमर्थ हो जाने पर उसे अपने स्थान पर अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति को न्यासी मनोनीत/ नामित करने का अधिकार होगा। मनोनीत/नामित न्यासी रिक्त पद ग्रहण कर लेगा, यदि किसी न्यासी ने ऐसा

Munne

Arun



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 423640

(15)


नहीं किया है, तो शेष बचे न्यासी गण सर्वसम्मत व बहुमत के निर्णय से अपने मे से किसी भी न्यासी को उक्त रिक्त पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा की मृत्यु के बाद श्री अवधेश कुमार वर्मा इस न्यास के अध्यक्ष होंगे एवं इसके बाद अध्यक्ष पद पर पीढ़ी दर पीढ़ी ज्येष्ठ पुत्र ही अध्यक्ष के रूप में नामित होंगे।

ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगणों की नियुक्ति—

इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त सभी न्यासी गण इस न्यास के स्थायी न्यासी होंगे। उन्हें अपने जीवन काल मे अपने स्थान पर न्यासी नामित/मनोनीत करने का अधिकार होगा, लेकिन वे अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को अपने स्थान पर नामित/मनोनीत कर सकेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो किसी न्यासी का स्थान रिक्त होने पर शेष बचे न्यासीगण मृतक न्यासी के परिवार के

Munne

A.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 424256

(16)


किसी योग्य व्यक्ति का सर्वसम्मत वा बहुमत से प्रस्ताव पास कर नियुक्त भविष्य में कर सकेंगे। यदि उस न्यासी के परिवार में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो शेष न्यासी गण अपने परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को सर्वसम्मत या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर न्यासी नियुक्त करेंगे। सभी न्यासी के लिए आवश्यक होगा कि हेमराज वर्मा के परिवार के हों तथा हिन्दू धर्म को मानने वाले हों और ट्रस्ट के कार्यों, प्रयोजनों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हितकर हों।

ट्रस्ट के विशेष न्यासीगणों की नियुक्ति—

अधिक से अधिक सात विशेष न्यासी गणों की नियुक्ति का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मंत्री को ही होगा। जिनका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। ऐसे किसी विशेष ट्रस्टी की पुनर्नियुक्ति का अधिकार भी अध्यक्ष एवं मंत्री को ही होगा।

Munna

Shivam



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 424257

(17)

ट्रस्ट के न्यासीगण की सदस्यता समाप्ति—

न्यास के न्यासीगण की सदस्यता समाप्त हो जायेगी- उनके त्याग-पत्र देने पर, मृत्यु पर,

ट्रस्ट के हित के प्रतिकूल कार्य करने पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित होने पर।

ट्रस्ट की बैठक—

(1) ट्रस्ट की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जो ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय

पर होगी या इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी होगी, जहाँ ट्रस्टीगण


निश्चय करें। बैठक की लिखित सूचना अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री द्वारा

एक सप्ताह पूर्व सभी न्यासीगण को उचित माध्यम जो उपलब्ध व उपयुक्त

हो दी जायेगी।

Manna

S. A. - 41



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 424258

(18)

- (2) बैठक में न्यासीगण की गण पूर्ति की संख्या स्थायी न्यासियों की संख्या का दो तिहाई आवश्यक होगा। अध्यक्ष को गण पूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित न करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष द्वारा गण पूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित न करने पर बैठक में उपस्थित न्यासीगण निर्णय ले सकेंगे, जो सर्वमान्य होगा। विशेष ट्रस्टियों को गण पूर्ति में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (3) न्यास की वार्षिक बैठक में वर्ष भर का ट्रस्ट का आय-व्यय का लेखा-जोखा मन्त्री द्वारा ट्रस्ट का बजट बनाकर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा ट्रस्टियों से पास कराया जायेगा।
- (4) न्यास के आय-व्यय व लेखा-जोखा व बजट को देखने का अधिकार सभी

M. M. C.

A. K. R.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(19)

79AA 569982

न्यासीगण को होगा।

- (5) न्यास की बैठक में उपस्थित सभी स्थायी न्यासीगण के सर्वसम्मत या बहुमत से सभी निर्णय किये जायेंगे, जो सर्वमान्य होंगे। मत-विभाजन की स्थिति में प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष को विशेष मत देने का अधिकार होगा तथा वही निर्णायक होगा।
- (6) न्यास की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त किसी आकस्मिक बैठक को भी अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री आहूत करेगा, जिसमें दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख होगा।
- (7) न्यास की वार्षिक बैठक में सभी न्यासीगण का आना अनिवार्य होगा। न्यासी गण अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा वे

Mmane

11/2021



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(20)

79AA 569983

केवल तीन बार कर सकते हैं, चौथी बैठक में उन्हें स्वयं उपस्थित होना

आवश्यक होगा। प्रतिनिधि न्यासीगण के परिवार का ही होगा।

- (8) किसी न्यासी याँ न्यास के पदाधिकारी की मृत्यु पर या अन्य स्थिति में उनका स्थान रिक्त होने पर न्यास की आकस्मिक बैठक कर नये स्थायी न्यासी व पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
- (9) इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त न्यासीगण तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त भविष्य में जो स्थायी न्यासीगण व पदाधिकारी नियुक्त होंगे वे अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक उपर्युक्त कारणों से उनकी न्यास की सदस्यता समाप्त न हो जाये।

Munshi

Sharma



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(21)

79AA 569984

संस्थापक /अध्यक्ष का अधिकार व कर्तव्य—

संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के सभी कार्यों का पूर्ण नियन्त्रण व संचालन का अधिकारी होगा, जिसके आदेशों का पालन करना सभी पदाधिकारियों व न्यासीगण को मान्य होगा। अध्यक्ष न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री न्यास की वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को आहूत करेगा। अध्यक्ष को न्यास की बैठकों मे मत-विभाजन/ समान मत की स्थिति में अपना एक विशेष मत देने का अधिकार होगा, जो सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार की विवाद के स्थिति में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य तथा वाध्यकारी होगा। अध्यक्ष मिनमुकिर संख्या (1) संस्थापक उक्त संस्था का है। जो आजीवन रहेंगे। अध्यक्ष को ट्रस्ट के हित में कोई भी कार्य करने हेतु स्वयं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

Munnu

Desh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(22)

79AA 569985

मन्त्री के अधिकार तथा कर्तव्य—

मन्त्री न्यास द्वारा अपनी बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। न्यास के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उनका रख-रखाव करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं, कार्यों व व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगा तथा अध्यक्ष के अनुसार न्यास की बैठकों को आहूत करेगा। न्यास की बैठकों में लिये गये निर्णयों तथा अध्यक्ष के आदेशों निर्देशों, का क्रियान्वयन व परिपालन करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री को प्रतिनिधि के रूप में पत्र-व्यवहार व सरकारी न्यायालयों के कार्यों के करने का अधिकार होगा। और संस्था के हित के लिए वे सभी कार्य जो जरूरी व आवश्यक हो उनको करना।

कोषाध्यक्ष का अधिकार-कर्तव्य—

कोषाध्यक्ष न्यास के सम्पूर्ण सभी आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेगा तथा उससे न्यास के

Munshi

Ayer



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(23)

79AA 569986

पदाधिकारियों व न्यासीगण को अवगत करायेगा। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से न्यास के खातों का स्टेटमेण्ट एकाउण्ट प्राप्त करेगा। न्यास निधि की अभिरक्षा करेगा।

इस प्रकार से न्यास के अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन या पूर्ति करेंगे तथा न्यास की सारी व्यवस्था करेंगे।

कर्मचारी रखने व हटाने का अधिकार—

न्यासीगण को अपने न्यास के विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों व कार्यों के सम्पादन/संचालन के लिए अपने द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों को रखने व कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा।

Munshi

A. Reddy



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(24)

79AA 569987

न्यास का खाता—

न्यास का खाता किसी भी शेड्यूल बैंक में अध्यक्ष, मन्त्री व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से खोला जायेगा जिसका संचालन इनमें से किसी दो के हस्ताक्षर से होगा, लेकिन प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। किसी दशा में न्यास की किसी भी सम्पत्ति को किसी न्यासी या न्यास के किसी पदाधिकारी को अपने निजी नाम से रखने या कोई धनराशि उक्त लोगों द्वारा अपने स्वयं के नाम से जमा करने का अधिकार नहीं होगा।

न्यास की आय एवं प्राप्तियों का साधन—

उपहार, दान, अनुदान से प्राप्त धनराशि, वैभव, वसीयतनामा या अन्य लेख-पत्र से प्राप्त चल-अचल सम्पत्तियाँ या धनराशि न्यास की अपनी सेवाओं या न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से

14 Rev.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(25)

79AA 569988

प्राप्त सम्पत्ति, न्यास के अपने व्यापार से प्राप्त धनराशि न्यास को अपनी विशेष निधियाँ रखने का अधिकार होगा। न्यास को प्राप्त सभी धनराशि न्यास की सम्पत्ति होगी। उपरोक्त के अलावा किसी बैंक वित्तीय संस्था या अन्य से आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लिया जा सकेगा। न्यास के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर न्यास को अपनी चल अचल सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार होगा। लेकिन यह फैसला सर्व सम्मति से होगा।

न्यास की सरप्लस निधियों का निवेश—

न्यास की सरप्लस निधियों का निवेश बैंक डिपाजिट, बॉण्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में आवश्यकता पड़ने पर करने का अधिकार अध्यक्ष एवं मंत्री को होगा तथा न्यास को दूसरी संस्थाओं या व्यक्ति विशेष को ऋण देने का भी अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(26)

79AA 569989

न्यास की नियमावली में संशोधन—

न्यास की नियमावली में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

विशेष परिस्थिति में उक्त ट्रस्ट में परिवर्तन, परिवर्द्धन करने का अधिकार बहुमत राय से होगा।

यानि जरूरत पड़ने पर विधिक राय मिलने में संशोधन करने का अधिकार इस कमेटी को होगा।

न्यासीगण अपने बहुमत से नियमावली में परिवर्तन व परिवर्द्धन कर सकेंगे, लेकिन न्यास के मूल

उद्देश्यों के विपरीत कोई भी संशोधन कभी नहीं किया जायेगा। यानी इस ट्रस्ट की मूल आत्मा के

विपरीत कोई कार्य नहीं होगा।

न्यास की संरचना निधि—

मैं मिनमुकिर संख्या (1) जो कि इस न्यास-पत्रक का संस्थापक अध्यक्ष हूँ तथा इस न्यास

Munne

✓ 19/10/2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRÄDESH

(27)

79AA 569990

का प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष हूँ। मैंने इस न्यास की निधि के सृजन में 51,000/रु. सहयोग प्रदान कर दिया है। जो न्यास की स्थायी निधि की संरचना होती है। और जिस न्यास निधि पर स्टाम्प देय हेतु रुपया एक हजार मात्र का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। जो पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में भारतीय न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे।

मैंने इस न्यास-पत्रक में वर्णित उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं/विधियों को भली प्रकार सोच समझकर स्वस्थ चित्त व स्वतन्त्र मन, बुद्धि से आरोग्यता की स्थिति में रहकर इस न्यास का गठन किया है, जिसका हर प्रकार से परिपालन सुनिश्चित करना ही इस न्यास का प्रमुख कार्य व उद्देश्य होगा, अतः मैं संस्थापक मिश्रीलाल वर्मा एवं मिनमुकिर संख्या (2) डॉ. अवधेश कुमार वर्मा मंत्री

Munna

1 Net



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(28)

79AA 569991

द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनांक 15.4.2010 को निष्पादित किया गया कि प्रभाव रहे और भविष्य में काम आवें।

दिनांक 15.4.2010

हस्ताक्षर

मिनमुकिर संख्या (1)

Munna

(मिश्रीलाल वर्मा)

हस्ताक्षर

मिनमुकिर संख्या (2)

A. Verma

(डॉ. अवधेश कुमार वर्मा)

टंकणकर्ता — जैसराज प्रजापति, पुत्र-

श्रीराम मनोहर
ग्राम- विजैनपुर सजहरा पोस्ट- रामपुर भगन जिला- फैज़ाबाद

मसविदाकर्ता-

जृष्ण कुमार दक्षेश देव

गवाहान- 1.

१००० रुपये
दस सौ रुपये
५०० रुपये

गवाहान 2. रवीश कुमारलाल

दस टिङ्गलाल
६०० रुपये

हस्ताक्षर के लिए २०० रुपया

वनुजप्ति सं. १ दिनांक ३१.५४.१.१.१.....

एक विचमान जिला और स्थान उप निवंधक

कार्यालय जिला फैज़ाबाद तीव्र फीस २५%

हस्ताक्षर लेखक का हस्ताक्षर..... २०० रुपये

19 ०४

दि. ० रुपौ नू ५७७ कामत ५० वास्त २२२५५

नाम केला भिट्ठी लाल वर्मा ५५ दैराज वर्मा ल० १५/३/२२, हाकुंज

शास्ति न०.....

स्थाय विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.न० 158/9

बिकी का स्थान उपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद


लाइसेन्स की वर्षी - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

नि० १५/३/२२, हाकुंज

झागरघाट शहर अदेहा

परो देवली अवध ८४० ल०

जिला फैजाबाद



19 ०४

478

द०.....रजि० न०.....कोमत 50 वास्त.
 नाम केता.....
 शामिल नं०..... 487
 स्टाय विक्रेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला.नं० 158 / 9
 विक्री का स्थान उपनिवंशक कायात्तप सदर फैजाबाद
 लाइसेन्स की गवधि - 01-04-10 से 31-03-12



19/04
दि. रुपये ० नो. कामत ० वस्तु.

नाम केता ५७७

शाखा नं.

स्थान विक्रेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला. नं० 158/९

विक्री का स्थान उपनिवेशक कायालय सदर फैज़ाबाद

लाइसेन्स की वधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

T 452628

INDIA POSTAGE STAMPS

रुपये का नोट का नीमा

क्रम	प्रभ	संग्रहीत दिन	मुद्रा
प्राचीन मिहारा	मिहारा १०००० मिहारा-मिहारा	प्राचीन मिहारा - लाल	प्राचीन मिहारा -
मिहारा	मिहारा १००००० मिहारा-मिहारा	मिहारा मिहारा - लाल	मिहारा मिहारा -
प्राचीन मिहारा	मिहारा १००००० मिहारा-मिहारा	प्राचीन मिहारा - लाल	प्राचीन मिहारा -
मिहारा	मिहारा १००००० मिहारा-मिहारा	मिहारा मिहारा - लाल	मिहारा मिहारा -



19/04/60 480
 दि०.....रजि० न०.....कोमति 50 वास्त.
 नाम छेता.....
 शामिल न०..... 477
 स्टार्ट विक्रेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला.न० 158/9
 विक्री का स्थान उपनिवेशक कालालय सदर फैजाबाद
 लाइसेन्स की वधवि - 01-04-10 से 31-03-11

✓

✓

प्रशंसा T

प्रशंसा उत्तर प्रादेश

—प्रशंसा उत्तर प्रादेश का नाम

प्रशंसा, जो की एक ऐसी कमीशन, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।

प्रशंसा उत्तर प्रादेश की सर्वोत्तम, जो आपको अपनी जीवनी के साथी है।



✓

19^{०५} ४८
 दि०.....रुमि० न०.....कीमत.....वास्त.
 नाम केता.....
 शाखित न०..... ५७
 स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.न० १५३/९
 विक्री का स्थान उपमिद्देश्वर कार्यालय सदर फैजाबाद
 लाइसेन्स की अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

कि इस अंकि इह छोटा जातक उपलब्ध कि १९०५-०६ में नवाज़-गढ़ीगंज {

के द्वारा अपने गढ़ीगंज

१० नवाज़-गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज (१)

के द्वारा अपने गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज

१० नवाज़-गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज

१० नवाज़-गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज (२)

के द्वारा अपने गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज (३)

के द्वारा अपने गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज, गढ़ीगंज



19/04/06

दिन.....रोज़ ० नं.....कोमत. ५० वास्त.
नाम केरा.....
शाखा नं..... ५७७
स्थान विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. नं १५८/९
विकेता का स्थान उपनिवंशक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेंस की अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

1925A T

(१)

HESSE RAILWAY BOARD UTTAR PRADESH

मिशन की विद्यालयीन विद्यालय कमिशन द्वारा दिनांक १९/०४/०६ के द्वारा-माना

{ १)

ग्रन्ति के लिए हमें आपनी अपार्टमेंट, अमृता गढ़ान के बाहर मिशन लाइसेंस

क्रमांक ५८८ द्वारा किए गए सबसे अंतिम दिन अपार्टमेंट की लगातारी लगभग जी

प्राप्ति द्वारा दिया गया जो विद्यालय की विद्यालयीन विद्यालय

की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालय (१)

मिशन की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालय

(१)

मिशन की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालय

मिशन की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालयीन विद्यालय की विद्यालय

(१)



19/04/19
 दि०.....रोज० २०.....क्रमसंख्या ५०
 नाम कला.....
 शास्त्री नं०..... ४७७
 स्थापना का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला.नं० १५८/९
 विकी का स्थान उपनिषद्धक कार्यालय सदर फैजाबाद
 लाइसेंस की अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

०२.५

1 A255A

STATE OF UTTAR PRADESH

एक विदेशी व्यापारी के लिए अनुमति दिया गया है।

उपनिषद्धक कार्यालय फैजाबाद

गोपनीय अमित चौधरी, अमित चौधरी कार्यालय, फैजाबाद (UP)

को विदेशी व्यापारी के लिए अनुमति दिया गया है।



अनुमति का दस्तावेज़ दिया गया है। (५)

1904

दि०.....रजि० न०.....कामता 50 वास्ता.

नाम खेता..... शामिल न०..... 479

स्टाम्प विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.न० 158/9
विक्री का स्थान उपनिवंधक कायालय सदर फैजाबाद
लाइसेंस भी इव्ही - 01-04-10 से 31-03-11

02.5

T 5393

RECEIVED AT THE POST OFFICE FOR MAIL LETTER PARADESH

प्राप्ति का नाम जगद्गुरु नानक द्वारा दिया गया उपनिवंधक कायालय (१)

13/5/5

कि इस साल 1904 अप्रैल, दोपहर, बीमों ग्रामों परी कायालय सदर फैजाबाद (२)

प्राप्ति का नाम जगद्गुरु नानक द्वारा दिया गया उपनिवंधक कायालय

प्राप्ति का नाम जगद्गुरु नानक द्वारा दिया गया उपनिवंधक कायालय (३)

प्राप्ति का नाम जगद्गुरु नानक द्वारा दिया गया उपनिवंधक कायालय (४)

प्राप्ति का नाम जगद्गुरु नानक द्वारा दिया गया उपनिवंधक कायालय (५)



19⁰⁴/₁₀ 485
दिनों रजिस्टर नं. कॉम्पनी नं. 50 वास्त.

नाम केता..... ५७७
शाखिल नं.
स्थाय विकेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला. नं. १५८/९
विकेता का स्थान उपनिषद्धक कार्यालय लद्दर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

०२.५५

T ५३६३४

NUMBER OF PAGES

प्राप्ति मास्र-ग्राहक

ग्राहक निवास, ग्राहक नाम का लिखा हुआ ग्राहक निवास-ग्राहक (१)

प्राप्ति लिखा हुआ ग्राहक निवास-ग्राहक (२)

ग्राहक प्रति के ग्राहक नाम का लिखा हुआ ग्राहक-ग्राहक (३)



STATE ELECTRICITY BOARD, BIHAR

19/04

486

दिन.....रजिस्टर नं.....कॉम्पनी नं.....वास्तविक नं.....

नाम के लिए.....

भारित नं..... 477

स्थाय विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. नं 158/9

विकी का स्थान उपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स भी जरूरी - 01-04-10 से 31-03-11

T 452935

(1)

STATE OF UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (१)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (२)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (३)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (४)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (५)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (६)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (७)

उत्तर प्रदेश विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका विधायिका (८)



19/04

487

दिन.....रजिस्टर नं.....कीमत 50 वास्त.

नाम केता.....

शास्त्रिय नं..... 477

स्थान विकेता का नाम अर्जीत कुमार लिंग ला. नं 158/9

विकी का स्थान उपनिवेशक जाकलय लदर फैजाबाद

लैसेन्स की वधि - 01-04-10 से 31-03-11

T 45262

ALL INDIA TRADE

00

प्राप्ति का नाम लिखें और इसका नाम लिखें {

19/04

प्राप्ति का नाम लिखें {



— 1 —

19⁰⁴/₆ 488
 दिन.....रजिस्ट्रेशन नं.....कोमत. 50.....वास.
 नाम केता.....
 शाखा नं..... ५७७
 स्थायी विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. नं १५८/९
 विकी का स्थान उपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद
 लाइसेन्स दी गयी - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

१५८३८१

(८)

प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति

महाराजगढ़ ज़िले के ग्रामीण विकास विभाग-उपनिवेशक मिशन के विकासी भौति के द्वारा दी

ग्रामीण विकास विभाग के विकास विभाग के एक कार्यालय विकास विभाग के द्वारा दी

ग्रामीण-विकास विभाग के द्वारा दी गयी विकास विभाग के द्वारा दी गयी विकास विभाग के द्वारा दी

दी गयी विकास विभाग के द्वारा दी गयी विकास विभाग के द्वारा दी गयी विकास विभाग के द्वारा दी

-के विकासी

प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति
ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग

१९०५ ४८९ ५०
 दि०.....रजि० न०.....ओमत.....वास्त.
 नाम केता.....
 शामिल न०..... ५७७
 स्थाय विक्रेता का नाम अजीत कुमार तेह ला.न० १५८/९
 विक्री का स्थान उपनिवंशक कारोबार सदर फैजाबाद
 लइसेन्ट की अधिकारी - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

RECEIVED

(D)

RECEIVED ON THE 15TH MARCH 1976

मिशन विक्रेता का "अमृत लाइसेन्ट इन फैजाबाद" में प्राप्त {

मिशन लाइसेन्ट मिशन विक्रेता का लाइसेन्ट के लिए विक्रेता का लाइसेन्ट

लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट

का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट

का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट

का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट

का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट

का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट

का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट का लाइसेन्ट



19⁰⁴/

490

कोमत 50 वास्त.

दिन.....रेजिना.....नमू.....

नाम के लिए.....

शामिल नं०..... 477

स्टम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं० 158/9

विक्री का स्थान उपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स भी अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

1923-45 T

INDIAN NATIONAL LIBRARY CARD

सभा का "लाइब्रेरी फ़िल चार्टर लिंग काल" (1) ग्रन्थ लालीमणी १

(2) लिंग कालालीमणी ग्रन्थ लिंग (3) ग्रन्थ लालीमणी ग्रन्थ लालीमणी

ग्रन्थ लालीमणी ग्रन्थ लालीमणी ग्रन्थ लालीमणी ग्रन्थ लालीमणी



19 04
%

दि. रजि. नो. क्रमांक. ५१ वार्ष. ५०
नाम क्रेता.....

शामिल नं० 477
 स्टार्ट विक्रेता का नाम अर्जुत कुमार सिंह ला. नं० 158
 विक्री का स्थान उपरिदिशक कार्यालय सदर फैजाबाद
 लाइसेन्स की गतिधि - 01-04-10 से 31-03-11



19/04/10 492 50
दि. रोज़ा नो. कोमत. बास.
नाम केता
शाखा नं. ५७७
स्टार्च विक्रेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला.नो १५८/९
विक्री का स्थान उपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेंस की अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

02.52

T 154525

SOL 24/4 UTTAR PRADESH

(1)

इस नियमित में दर्शाए गए वार्षिक वाहन विवरण वाहन का वार्षिक विवरण है।

इस वाहन का वार्षिक विवरण वाहन का वार्षिक विवरण वाहन का वार्षिक विवरण है।

इस वाहन का वार्षिक विवरण वाहन का वार्षिक विवरण है।

इस वाहन का वार्षिक विवरण वाहन का वार्षिक विवरण है।



19/04 493 50
दिन.....रजिस्टर नं.....कॉम्प्लेन्ट.....वार्स्ट.
नाम केता.....
शाखिल नं..... 477
स्थान विक्रेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला. नं 153/9
बिहार का स्थान लुपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

02.50

13525 T UTTAR PRADESH

— लगातार लापता हुए वाहन के लिए

— यह वाहन को लापता हुए वाहन के लिए वाहन के लागत

— वाहन के लिए

— लगातार लापता हुए वाहन के लिए वाहन के लागत (1)

— लगातार लापता हुए वाहन के लिए वाहन के लागत

— लगातार लापता हुए वाहन के लिए वाहन के लागत

— लगातार लापता हुए वाहन के लिए वाहन के लागत



19⁰⁴/₆ 494 So वास्त.
 दि०.....रोज० न०.....क्रमांक
 नाम केता.....
 शापिल नं०..... ५७७
 स्टाम्प विक्रेता का नाम अंगीत कुमार सिंह ला.न० १५३/९
 विक्री का स्थान उपनिवंधक कार्यालय सदर कैजाडा
 लहरना वी जलवी - ०१-०४-१० से ३१-०३-११

०२.७

L 42528

(31)

THE GOVERNMENT OF INDIA IN THE

STATE OF HARYANA FOR THE REVENUE AND EXCISE DEPARTMENT {5}

सरकारी विवाह के लिए लाइसेन्स | ग्रामीण विवाह के लिए

लाइसेन्स के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह

के लिए विवाह के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह

के लिए या विवाह के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह

के लिए या विवाह के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह

के लिए या विवाह के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह

के लिए या विवाह के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह

के लिए या विवाह के लिए या विवाह के लिए सरकारी विवाह



THE GOVERNMENT OF INDIA IN THE STATE OF HARYANA FOR THE REVENUE AND EXCISE DEPARTMENT {6}

19-04

495

दि. ०..... रजि. ०..... क्रमत. १०..... वास्त.

नाम केता.....

शाखा नं. ४७७

स्टम्प दिक्षिता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. नं. १५८ / ९

बिजो का स्थान उपनिवंधक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११



19-⁰⁴₀

496

दि०.....रोज० न०.....क्रमत. 60.....वास्त.

नाम केता.....

शामिल न०..... 472

स्टार्ट विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. न० 158/9

विक्री का स्थान उपनिवेशक क्षर्यात्मय सरर फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11



19⁰⁴
6

497

दिन.....रोज़ी नं०.....कीमत..10.....वार्ता.

नाम केता.....
शास्त्रीय नं०.....477

स्टाम्प विक्रेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. नं० 158/9

विक्री का स्थान उपनिवेशक कालातग सदर फैजाबाद
लाइसेंस की उमर - 01-04-10 से 31-03-11



19-⁰⁴
०

498

दिन.....रजिस्टर नं.....कोमत ८०.....वास्त.

नाम केवा.....

शाखिल नं..... ५७७

स्थाय पिकेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला.नं० १५८/९

पिकी का स्थान उपनिवंशक कार्यालय सदर फैजाबाद

लाइसेन्स की उम्र - ०१-०४-१० से ३१-०३-११



19 अ० 499 कोमत १० वास्त.
 दि०.....रजि० न०.....कोमत १० वास्त.
 नाम केता.....
 शामिल न०..... ४७७
 स्थाय विकेता का नाम अजीत द्व्यामर जिंह ला. न० 153 / ९
 बिक्री का स्थान उपनिवेशक कर्यालय सदर फैजाबाद
 लाइसेन्स की जरूरि - 01-04-10 से 31-03-11



1904
6

दिन.....रोजी ० न० 500 क्रमांक १० वास्तु।
नाम केला.....

शास्त्रिय न० ४७७

स्टार्ट विकेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला. न० 158/९
विष्णु का स्थान उपनिवेशक कायालय सदर फैजाबाद
ताइरन्न औ अवधि - ०१-०४-१० से ३१-०३-११



1964

दिन.....रोज़ नूमानी क्रमत 10 वास्त.

नाम क्रेता..... 501
शाखा नं..... 477

स्टम्प विकेता का नाम अर्जुत कुमार सिंह ला. नं 158/9
विकी का स्थान उपसिवंधक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11



19/04/10

502

दिन.....रजिस्ट्री नं.....कीमत.....वाला
नाम केता.....

शामिल नं.....577

स्थायी विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला.नं 158/9
विद्युती का स्थान उपनिवेशक कार्यालय सदर फैजाबाद
लाइसेंस की जारी - 01-04-10 से 31-03-11

यास पत्र

51,000.00	510.00	20	530.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मिश्री लाल वर्मा Mm
पुत्र श्री हेमराज वर्मा

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 14/3/22 हेमकुंज शृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/4/2010 समय 3:39PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के.त्रिपाठी
सब रजिस्ट्रार
फैजाबाद

20/4/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

निवासी Mm

श्री मिश्री लाल वर्मा
पुत्र श्री हेमराज वर्मा
पेशा व्यापार
निवासी 14/3/22 हेमकुंज शृंगारहाट अयोध्या
फैजाबाद



श्री डा. अवधेश कुमार वर्मा (A)
पुत्र श्री मिश्री लाल वर्मा
पेशा शिक्षक
निवासी 14/3/22 हेमकुंज शृंगारहाट अयोध्या
फैजाबाद



(एस.के.त्रिपाठी)
उप निवन्धक
सदर
फैजाबाद

19-04
10

दिनों.....रजिस्ट्री नं. 503 कीमत 10 वास्त.

नाम क्रेता.....
शासित नं. 477

स्थाय विकेता का नाम अजीत कुमार सिंह ला. नं. 158/9

दिक्षी का स्थान उपनिशदका कलालय सदर फैजाबाद

लाइसेंस की अवधि - 01-04-10 से 31-03-11

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री कृष्ण कुमार गुप्ता

पेशा दस्तावेज लेखक

निवासी रजिस्ट्री आसिफ सदर फैजाबाद

व श्री विजय कुमार
पुत्र श्री कैलाश नाथ

पेशा व्यापार

निवासी निरालानगर फैजाबाद

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र सक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के.त्रिपाठी
सब रजिस्ट्रार
फैजाबाद

20/4/2010



19-04

504

दि. रजि. नं. क्रमांक. वास्त.

नाम केता

शामिल नं. 477

स्टाप्प विक्रेता का नाम अर्जीत कुमार सिंह ला. नं. 158/9

विक्री वा स्थान उपनिवेश वाराणसी सदर फैजाबाद

लाइसेंस वाली तिथि - 01-04-10 से 31-03-11

न्यासी

Registration No.:

42

Year :

2,010

Book No. :

4

0101 मिश्री लाल वर्मा

हेमराज वर्मा

14/3/22 हेमकुंज शृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद

व्यापार



0102 डा. अवधेश कुमार वर्मा

मिश्री लाल वर्मा

14/3/22 हेमकुंज शृंगारहाट अयोध्या फैजाबाद


शिक्षक



(एस. के. विलासी)
उप निकालकू
सदर
फैजाबाद



नाम



नाम


सुमित्रा शर्मा

नाम

सुमित्रा शर्मा

नाम

S10 अवधारणा



नाम

S10 अवधारणा

हस्ताक्षर पक्षकारः—

Mune

Avinash

आज दिनांक 20/04/2010 को

वही सं. 4 ज़िल्द सं. 360

पृष्ठ सं. 161 से 218 पर कमांक 42

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Sachin Pathak

एस.के.त्रिपाठी

सब रजिस्ट्रार

फैजाबाद

20/4/2010

